



झारखण्ड अधिविद्य परिषद्, राँची

JHARKHAND ACADEMIC COUNCIL, RANCHI

दिनांक- 12.01.2020 को आयोजित राष्ट्रीय साधन-सह-मेधा छात्रवृत्ति परीक्षा (NMMS) में उत्तीर्ण छात्र-छात्राओं के लिए छात्रवृत्ति प्राप्ति हेतु Fresh आवेदन online जमा करने के संबंध में।

विज्ञप्ति संख्या - 30/2020

राष्ट्रीय साधन-सह-मेधा छात्रवृत्ति परीक्षा में उत्तीर्ण छात्र-छात्राओं, उनके अभिभावकों/संबंधित विद्यालयों के प्रधानाध्यापक एवं जिला शिक्षा पदाधिकारियों को सूचित किया जाता है कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय, नई दिल्ली के द्वारा इन सफल छात्र/छात्राओं को छात्रवृत्ति प्रदान किया जाना है। उक्त छात्रवृत्ति को प्राप्त करने हेतु आवेदकों से National Scholarship Portal (<http://scholarships.gov.in>) पर दिनांक-16.08.2020 से 31.10.2020 तक Online आवेदन आमंत्रित किये जा रहे हैं।

Exam Date	Project Year	Class	Scholarship
12.01.2020	2020-21	IX	Fresh
21.04.2019	2019-20	X	Renewal

चयनित लाभुकों को 12000/- रुपया प्रति वर्ष छात्रवृत्ति भारत सरकार के द्वारा दिया जाएगा।

Online आवेदन भरने की प्रक्रिया:-

- * सर्वप्रथम आवेदक पोर्टल पर **New Registration Tab** पर वांछित जानकारी को प्रविष्ट करते हुए अपने आप को पंजीकृत करेंगे।
- * ऑनलाईन आवेदन करते समय आवेदक यह ध्यान रखेंगे कि वर्ग **IX** एवं **X** के छात्र **pre Matric option** चुनेंगे।
- * संबंधित विद्यालयों को प्राचार्य पोर्टल पर अपने विद्यालय को पंजीकृत करेंगे। तत्पश्चात् Verification के लिए छात्र-छात्रा का आवेदन विद्यालय प्राचार्य के पास Login में उपलब्ध होगा। प्राचार्य/प्राचार्या Online आवेदन को भली-भाँति जाँच कर संबंधित जिला शिक्षा पदाधिकारी को Online अग्रसारित करेंगे।
- * त्रुटिपूर्ण आवेदन दिनांक 15.11.2020 तक संशोधित किये जाएंगे।
- * जिलों के द्वारा Online Verification की अंतिम तिथि 30.11.2020 निर्धारित है।
- * **बाधा रहित छात्रवृत्ति प्राप्त करने हेतु छात्र सुविधानुसार अपने बैंक खाते को आधार से Seeding करा सकते हैं।**
- * सभी लाभुकों को छात्रवृत्ति प्राप्त करने हेतु **NSP** पर आवेदन करना अनिवार्य है। छूट जाने की स्थिति में परिषद् जिम्मेदार नहीं होगा।
- * लाभुक आवेदन करते समय अपना या अपने पिता का मोबाईल संख्या एवं **email id** आवेदन में भरेंगे।
- * छात्रवृत्ति से संबंधित जानकारी प्राप्त करने हेतु छात्रवृत्ति कोषांग के दूरभाष संख्या-7485093439 पर सम्पर्क किया जा सकता है।
- * इस Scheme के तहत सभी जानकारीयें यथा संस्थानों के पंजीकरण (Registration)की प्रक्रिया, छात्रवृत्ति की राशि, Renewal की प्रक्रिया एवं शर्तें, Fresh आवेदन भरने की प्रक्रिया इत्यादि परिषद् के website- <https://jac.jharkhand.gov.in> एवं National e-Scholarship के Portal (<https://scholarships.gov.in>) से प्राप्त की जा सकती है।

नोट - परिषद् द्वारा उक्त छात्रवृत्ति से संबंधित जानकारी मात्र उपलब्ध कराई जाती है। इस छात्रवृत्ति हेतु राशि **DBT** के माध्यम से सीधे लाभुक के खाते में MHRD, New Delhi के द्वारा हस्तांतरित किया जाता है। परिषद् की इसमें कोई भूमिका नहीं रहती है। अतः छात्रवृत्ति अप्राप्त रहने से संबंधित किसी भी प्रकार का दावा परिषद् द्वारा स्वीकार नहीं किया जाएगा। झारखण्ड अधिविद्य परिषद् सिर्फ सूचना उपलब्ध कराने का एक माध्यम है।

JAC/NMMS/79/19/Secy/290/2020.

Dt. 28.09.2020

D.O.P : 30.09.2020

अध्यक्ष के आदेश से,

ह./- सचिव,

झारखण्ड अधिविद्य परिषद्, राँची।